

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डीन जिला करौली

मुकदमा नं० 52/2024

तारीख रजु - 25.4.2024

दावा बाबत तकारमा, घोषणा खातोदाशी एवं स्थायी निवेद्याज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/113

उन्वान

प्रेमलता पुत्री रघुवीरशरण पत्नि राधाचरण जाति ब्राह्मण निवारी 50 ए, कृष्ण मेदर लक्ष्मण मार्ग सरस्वती मार्ग खेडली फाटक कोटा राजस्थान

—वादी

बनाम

कैलाशचन्द पुत्र रघुवीर जाति ब्राह्मण निवारी काना हनुमान पाडा हिण्डीन जिला करौली

—प्रतिवादीगण 18

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
25.4.2024	यह दावा वादीगण की ओर से श्री यूसुफ अली एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.05.2024 को पेश हो।  (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डीन जिला करौली
24/5	पत्रावली पेश हुई बकुलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो: <del>हेमराज गुर्जर</del> ..... दिनांक.....को पेश हो।
22/24	<del>बकुलाय उपस्थित/पीठसमक्ष अधिकारी रामकर्म के अध्यक्ष</del> प्रपत्रे 1। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो। 25-10-24
25/24	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण के वादी व वादी वकील को बार-बार अवाज लगावाये जाने के बावजूद भी वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं हुए। वसले जाडिर के कि प्रकरण की वादी व वादी वकील अगि नालू खने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः अं. 113/2024 दावा प्रेमलता बनाम कैलाशचन्द अहकाम पेशी के अहकाम शानिरी के खातिर किया जात। पत्रावली केसल शुमार की पीठसमक्ष सम्पन्न करने हुए, दाखिल दफ्तार के।